रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220276
CG-DL-E-30062020-220276

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1902] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942
No. 1902] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 2147(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 19 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की तारीख 12 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ.394(अ.), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सीमेंट से संबंधित उप-पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"3. (क) सीमेंट यूनिट- तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और उससे अधिक।

(ख) सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट - तेल समतुल्य का 10,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और उससे अधिक।";

(ii) रेल से संबंधित उप-पैरा 7 में, खंड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(ग) सभी आठ उत्पादन इकाइयाँ अर्थात्, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ), चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू), डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स (डीएमडब्ल्यू), रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ), मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) और रेल व्हील प्लांट (आरडब्ल्यूपी);

(घ) भारतीय रेल की कार्यशालाओं जिनका तेल समतुल्य का कुल वार्षिक ऊर्जा खपत 750 मीट्रिक टन एमटीओई और उससे अधिक हैं।";

(iii) वाणिज्यिक भवन या स्थापन से संबंधित उप-पैरा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"12.(क) होटल - वाणिज्यिक भवन या स्थापनाओं के अधीन ऐसे होटलों की इकाइयाँ जिनकी तेल समतुल्य का ऊर्जा की खपत 500 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष या उससे अधिक है।

(ख) हवाई अड्डे - वाणिज्यिक भवनों या स्थापनाओं के अधीनऐसे हवाई अड्डों की इकाइयाँ जिनकी तेल समतुल्य का ऊर्जा की खपत 500 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष या उससे अधिक है।"

[फा. सं. 10/4/2020-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं.394(अ.) में तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 3542(अ.), तारीख 29 दिसंबर, 2015, का.आ. 1388(अ.), तारीख 2 मई, 2017 और का.आ. 968(अ.), तारीख 22 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किये गए।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020.

S.O. 2147(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.394 (E), dated the 12th March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, section 3, sub-section (ii), dated the 19th March, 2007, namely:-

In the said notification,-

(i) for sub-paragraph 3 relating to cement, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"3. (a) Cement Unit- 30,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.

(b) Cement Grinding Unit - 10,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.";

(ii) in sub-paragraph 7 relating to railways, for clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c). all eight production units namely, Integral Coach Factory (ICF), Rail Coach Factory (RCF), Chittaranjan Locomotive Works (CLW), Diesel Locomotive Works (DLW), Diesel Loco Modernisation Works (DMW), Rail Wheel Factory (RWF), Modern Coach Factory (MCF) and Rail Wheel Plant (RWP);

(d). workshops of Indian Railways having total annual energy consumption of 750 MTOE and above.";

(iii) for sub-paragraph 12 relating to commercial buildings or establishments, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"12. (a) Hotels - Units of such hotels under commercial buildings or establishments having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.

(b) Airports - Units of such airports under commercial buildings or establishments having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above.".

[F. No. 10/4/2020-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 394(E), dated the 19th March, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3542(E), dated the 29th December,2015, S.O. 1388 (E), dated the 2nd May, 2017 and S.O. 968(E), dated the 22nd February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.30 21:32:40 +05'30'